राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांकः प.6(26)राज–6 / 2014 / पार्ट / 47 जयपुर, दिनांकः 23/06/2021

समस्त जिला कलक्टर,
राजस्थान।

परिपत्र

विषयः– परियोजनाओं के लिये संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य स्थित राजकीय भूमि के आवंटन के संबंध में।

प्रायः यह देखने में आया है कि खातेदारों/निजी विकासकर्ताओ द्वारा परियोजनाओं को विकसित करने हेतु संपरिवर्तित/आवेदित भूमि के कतिपय प्रकरणों में योजना के विकास के उपयोग में लिये जाने वाले भू क्षेत्र के मध्य में राजकीय भूमि अवस्थित होने से इन राजकीय भूमियों को योजना में सम्मिलित किये बिना आदर्श परियोजना का विकास किया जाना संभव नही होता है। यह राजकीय भूमि छोटे–छोटे टुकड़ो के रूप में भी अवस्थित हो सकती है। यह भूमियां परियोजना के मध्य में स्थित होने से भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रयोजन हेतु उपयोग किया जाना संभव नही होता है। यदि ऐसी भूमियों को विकासकर्ताओं को कीमतन आवंटन कर दिया जाता है तो योजना का विकास सुगमता से हो सकता है।

अतः उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा योजना के मध्य में आ रही राजकीय भूमि का राशि वसूल किया जाकर आवंटन किये जाने का निर्णय लिया गया है यदि ऐसी भूमिः–

1. परियोजनाओ हेतु सपरिवर्तन के लिये प्रस्तावित भूमि 10 हैक्टेयर या उससे अधिक है,
2. विकासकर्ता की परियोजना के मध्य आने वाली राजकीय भूमि प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है, एवं
3. संपरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि के मध्य अवस्थित राजकीय भूमि प्रस्तावित परियोजना के कुल क्षेत्रफल से 10 प्रतिशत से कम है।

परियोजना के विकास हेतु संपरिवर्तन के लिये प्रस्तावित भूमि के मध्य में अवस्थित राजकीय भूमि के आंवटन के प्रस्ताव जिला कलक्टर के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेगे। जिला कलक्टर द्वारा ऐसी भूमि के आवंटन के प्रस्ताव स्वयं की अनुशंषा मय राजस्व नक्शा, जमाबंदी, खसरा गिरदावरी एवं मौका रिपोर्ट प्रेषित की जायेगे। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि को राजस्व नक्शे पर लाल रंग से दर्शाया जावेगा।

23.6.21

राज्य सरकार द्वारा परियोजना के मध्य में स्थित राजकीय भूमि का आवंटन राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 102 के तहत कीमतन किया जा सकेगा। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूमि का आवंटन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा अनुमोदित कृषि भूमि की दर से दो गुना मूल्य वसूल कर किया जायेगा।

25.6.21

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, राजस्व विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव.........।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. आयुक्त, उपनिवेशन विभाग, बीकानेर, राजस्थान।
7. निबंधक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. राविरा, राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव एवं शासन उप सचिव, राजस्व विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव